

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 11]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSHA 19, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

फा. सं. 25024/9/2014-एफ-1.—केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 19 अगस्त, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 26011/4/98-एफ-1 तारीख 19 अगस्त, 2002 को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

जी. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2015

F. No. 25024/9/2014-F. I.—The Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number 26011/4/98-F. I dated the 19th August, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th August, 2002 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

फा. सं. 26011/01/2014-आईसी-1.—केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि राजपत्र में इस

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्डधारक व्यक्ति जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 26011/4/98-एफ-1, तारीख 19 अगस्त, 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, वे भारतीय विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में समझे जाएंगे।

जी. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2015

**F. No. 26011/01/2014-IC. I.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby specifies that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, all the existing Persons of Indian Origin cardholders registered as such under notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number 26011/4/98- F. I, dated the 19th August, 2002, shall be deemed to be Overseas Citizens of India cardholders.

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.